न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **22/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2022/103

1. श्री ओमप्रकाश पिता रामा जाट निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री नारायण पिता उदा जाट निवासी मावली तह. मावली।
3. श्रीमती रामीबाई पत्नी भगवानलाल जाट निवासी मावली तह. मावली।
4. श्री कन्हैयालाल पिता भगवानलाल जाट निवासी मावली तह. मावली।
5. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी रामा जाट निवासी मावली तह. मावली।
6. श्रीमती लीला पुत्री रामा जाट निवासी मावली तह. मावली।
7. श्री हीरालाल पिता रामा जाट निवासी मावली तह. मावली।

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्रीमती पारीबाई पत्नी हरलाल जाट निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री माधुलाल पिता हरलाल जाट निवासी मावली तह. मावली।
3. श्री रतनलाल पिता हरलाल जाट निवासी मावली तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का मावली तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.11.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 3848, 3849, 3850, 3854 किता 4 रकबा 6.2644 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के अधिकार, आधिपत्य की स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर हम प्रार्थीगण खेती करते चले आ रहे है तथा [illegible] में हमारे नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 3848 के दक्षिण दिशा में आराजी [illegible] 4202/3848 जो कि विपक्षीगणों के नाम पर दर्ज है तथा पूर्व में उक्त वर्णित आराजी हम प्रार्थीगण के बाप–दादा श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:47:45 IST
Reason: SelfAttested

रामा, भगवान जी एवं उदा जी जाट के नाम पर दर्ज थी, जिसको जायन्दा जरूरीयात होने से हरलाल जाट निवासी राहमी को पूर्व में विक्रय कर दी थी, हमारी आराजीयात आराजी नम्बर 3848 के दक्षिण दिशा में एक मुख्य रास्ता जो कि मावली से काला खेत जाता है जिसके आराजी नम्बर 3820 है, उस रास्ते से ही हम प्रार्थीगण एवं हमारे बाप–दादा आराजी नम्बर 4202/3848 से होकर आराजी नम्बर 3848 तक अपने कृषि यंत्र, बैलगाडी, ट्रेक्टर ले आते जाते थे व उक्त रास्ते अपनी आराजीयात पर आते जाते रहे है, जो की करीब 15 फीट चौडा रास्ता था, जिसका हम हरलाल जी के समय से ही उपयोग करते चले आ रहे थे, परन्तु कुछ समय से हरलाल जी जाट की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके वारिस विपक्षीगण हमारे आराजीयात पर आने जाने एवं कृषि यंत्र नही ले जाने दे रहे है, जिससे हमे हमारी आराजीयात पर कृषि कार्य एवं उक्त वर्णित आराजीयात के उपयोग उपभोग में काफी दिक्कते पैदा हो रही है। जिस कारण हम प्रार्थीगण अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग करने में असहज महसुस करते है तथा विपक्षीगण ने बिना किसी हक व अधिकार के रास्ते की भूमि पर कब्जा कर कांटो की बाड बना दी है व रास्ते को विपक्षीगणों द्वारा बन्द कर दिया हैं जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा हम प्रार्थीगणों ने विपक्षीगण को रास्ते को बंद नहीं करने हेतु कहा तो हम प्रार्थीगणों के साथ गाली गलोच करने लगे और लडने झगडने पर उतारू हुए है और कहने लगे कि तुम्हे जो करना है वो कर लेना मै तो इस रास्ते की भूमि पर कब्जा कर कांटो की बाड लगा कर ही रहेगें।

2. यह कि प्रार्थीगण को हमारी खातेदारी जमीन का उपयोग उपभोग करने के लिए ट्रेक्टर व कृषि यंत्र आदि ले जाने के लिए रास्ता खुला होना आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ते का [illegible] आवश्यक एवं न्यायोचित है तथा उक्त रास्ता बंद कर [illegible] से हम प्रार्थी[illegible] को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:47:45 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रार्थीगण सीधे साधे व्यक्ति होने की वजह से भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के विवाद से लडने में असमर्थ है तथा विवादों से बचने के लिए उक्त रास्ते को खुलवाया जाना आवश्यक हैं तथा राजस्व रेकार्ड में भी उक्त रास्ते का अंकन करवाया जाना आवश्यक हैं। फिर भी विपक्षी ने दिनांक 30.09.2021 को रास्ता बंद कर दिया व तथा हम प्रार्थीगणों द्वारा विपक्षीगण को उक्त रास्ते को खोलने हेतु कहा तो विपक्षीगण हमारे साथ मारपीट करने पर उतारू होने की वजह से हम यह प्रार्थना पत्र आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त रास्ता खुलवाया जावे एवं उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व में जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका

5. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।

6. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में अन्य रास्ता होने का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:47:45 IST
Reason: SelfAttested

1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 3848, 3849, 3850, 3854 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौडाई भी अंकित की जावे।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण के आराजी नम्बर 4202/3848 में से 0.0520 हेक्टेयर भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 30 फीट चौडी हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 7,22,730/— अक्षरे सात लाख बाईस हजार सात सौ तीस रूपयें प्रति हैक्टेयर हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.0520 हेक्टेयर की कुल कीमत 37,581/— अक्षरे सैतीस हजार पांच सौ इक्यासी रूपयें होना बताया हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा कालाखेत पटवार क्षैत्र मावली की आराजी नम्बर 3848, 3849, 3850, 3854 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 4202/3848 एवं 3820 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। उक्त रास्ता वर्षों से बना होकर वादग्रस्त आराजीयात के दक्षिण दिशा में होना बताकर प्रार्थीगण द्वारा पूर्व से ही इसका उपयोग उपभोग करना बताया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 30 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 4202/3848 रकबा 0.8579 हेक्टेयर मे से 0.0520 हेक्टेयर भूमि रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:47:45 IST
Reason: SelfAttested

हेतु प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 0.0520 हेक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी. एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कालाखेत पटवार क्षैत्र मावली की आराजी नम्बर 3848, 3849, 3850, 3854 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 4202/3848 रकबा 0.8579 हेक्टेयर में से 0.0520 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 7,22,730/— अक्षरे सात लाख बाईस हजार सात सौ तीस रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0520 हेक्टेयर की कुल कीमत 37,581/— का दुगुना 75,162/— रूपयें अक्षरे पचहत्तर हजार एक सौ बासठ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 से 3 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 3 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:47:45 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली